संख्या–वे0आ0–2– 577 / दस–59(एम) / 2008 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 29 जून, 2010

विषयः–पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–1314 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–1318 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा की गयी थी। उक्त क्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त पद का वेतनमान उच्चीकृत / संशोधित होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841 / दस–2009–59(एम) / 2008 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 के माध्यम से निर्गत की गयी, जिसमें सम्बन्धित पदधारको को विकल्प का अवसर उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में प्रस्तुत किये गये विकल्प से उनका वेतन कम निर्धारित होने की संभावना हो सकती है।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में जहाँ पद के वेतनमान का उच्चीकरण / संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2006 के उपरान्त हुआ है, वहाँ उच्चीकृत / संशोधित वेतनमानों में शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर 2009 द्वारा की गयी व्यवस्था के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर 2008 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य सम्बन्धित शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–577 (1) / दस–59(एम) / 2008, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।